



# केन्द्रीय रेशम बोर्ड

(वस्त्र मंत्रालय-भारत सरकार)

रेशम उद्योग के सभी पणधारी कृपया ध्यान दें

उत्तरपूर्वी तथा विशेष संवर्ग वाले राज्य नामतः  
सिक्किम, उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश में

10 लाख प्रतिवर्ष तक

एवं अन्य राज्यों में

20 लाख प्रतिवर्ष तक

## वस्त्र रेशम उद्योग

का कुल कारोबार करने वाले पणधारियों को  
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) से छूट दी जाएगी

और उन्हें जीएसटीएन पोर्टल पर

रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है

# **CENTRAL SILK BOARD**

(Ministry of Textiles, Govt. of India)

**Kind attention of All the Stakeholders of  
SILK Industry**

*Textile Silk Industries*

**with an aggregate turnover up to  
Rs.10 lakhs/Annum in North-  
Eastern (NE) and Special Category  
States namely Sikkim, Uttarakhand and  
Himachal Pradesh**

**and**

**Rs.20 lakhs/Annum in other States  
would be exempt from GST and are not  
required to register in GSTN portal.**